28 зÀц ŝģ. . ÷ Ŵ. R . . Xv W. ., * 6 ð ÷ ×. \$ 300 m ::« ń ŵ. ~ 40 <u>8</u> ÷ . * . . . ÷ * 4 94) 1940 . ÿ, S 8 a. * 1 ste. अध्याय (y.) ÷. . -.;† 40 332 ÷., ۵.

दैनिक वेतनभोगी संबंधी

, gia · ? : 9 Ağ Υ. \$¢: 43 o 48 S. 8 Ŷ ÷, 8 ģ ż Ŷ ø \$2 e. 37 ∼ej, je : : æ 1

[1]

बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग **संकल्प**

पटना–15, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009

विषय :-- माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में सरकारी विभागों / कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्तियों के वैध या अवैध, नियमित या अनियमित, विधिमान्य या अविधिमान्य होने की जाँच करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक संकल्प संख्या 1013 दिनांक 26.03.2007 के तहत गठित और संकल्प संख्या 1217 दिनांक 10.04.2007 तथा संकल्प संख्या–2736 दिनांक 13.08.2007 के तहत पुनर्गठित सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति के अध्यक्ष का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप उक्त समिति का पुनर्गठन निम्नरूपेण किया जाता है :--

1.	श्री दीपक कुमार,	अध्यक्ष
	प्रधान सचिव,	
	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना।	
2.	श्री रविन्द्र पवार,	सदस्य
	सचिव (संसाधन),	
	वित्त विभाग, बिहार, पटना।	
3.	श्री राजेश भूषण,	सदस्य
	परियोजना निदेशक,	
	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्	
	तथा सचिव,	
	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना।	

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

> बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजीव लोचन सरकार के विशेष सचिव

पटना—15, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009

ज्ञापांक—3 / एम०—28 / 2007) का०—5054

प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 300 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

पटना–15, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009

ज्ञापांक—3 / एम०—28 / 2007) का०—5054

प्रतिलिपि— सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/ लोकायुक्त का कार्यालय/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

[2]

पत्र संख्या-3/एम0-246/ 2006 का0-5527 बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद।

पटना-15, दिनांक 27 अगस्त, 2008

विषय :-- सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा निष्पादित मामलों में त्वरित अनुसरणात्मक कार्रवाई के संबंध में। महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि औरंगाबाद समाहरणालय से संबंधित ऐसे वाहन चालकों, जिनके दावों को सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, के नियमितीकरण के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा माँगी गई है। औरंगाबाद समाहरणालय द्वारा आयोग को प्रेषित पत्रांक 210 / नजा॰ दिनांक 07.07.08, जिसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी भेजी गई है, से इसकी पुष्टि होती है। 2. ज्ञातव्य है कि सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति के निर्णय, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पैरामीटरों के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा किये गये निदेश के अनुपालन में लिये गये हैं, के बाद अनुसरणात्मक कार्रवाई के क्रम में, संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.03.06 के आलोक में अथवा प्रासंगिक नियमावली के प्रावधानों के आलोक में, आयोग या किसी समिति की अनुशंसा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः जिन मामलों में सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा याचिकाकर्त्ता / अपीलकर्त्ता का दावा स्वीकार किया गया है उन्हें अविलम्ब समायोजित / नियमित किया जाय और जिन मामलों में दावा स्वीकार नहीं किया गया है वैसे याचिकाकर्त्ता / अपीलकर्त्ता (यदि वे कार्यरत हों तो) को अविलम्ब कार्यमुक्त कर दिया जाय।

> विश्वासभाजन सरयुग प्रसाद सरकार के उप सचिव।

इंगापांक—3 / एम—246 / 2006 का०—5527 पटना—15, दिनांक 27 अगस्त, 2008 प्रतिलिपि—सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

> सरयुग प्रसाद सरकार के उप सचिव

[3]

पत्र संख्या-3/क्यू०-27/07 का०-851 बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

<u>सभी विभाग।</u> <u>सभी विभागाध्यक्ष।</u> <u>सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।</u> सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 14 फरवरी, 2008

विषय :-- राज्य सरकार के विभागों / कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण / समायोजन के संबंध में। महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सरकार के विभागों / कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण / समायोजन हेतु इस विभाग के संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.03.2006 के तहत शत्तों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जा चुका है तथा परिपत्र संख्या 1533 दिनांक 03.06.2006 के द्वारा उन प्रक्रियाओं को समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सम्पन्न करने का निदेश जारी किया गया है। तत्पश्चात् इस विभाग के पत्रांक 2532 दिनांक 05.09.06 के तहत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम उमा देवी मामले

में दिनांक 10.04.06 को पारित आदेश [(2006) 4 SCC-1] की प्रतिलिपि भी परिचारित की जा चुकी है। अतः दैनिक वेतनभोगियों के समायोजन की कार्रवाई संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.03.2006 के साथ पठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ कर्नाटका एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य वाले मामले में दिनांक 10.04.06 को पारित आदेश में निर्धारित पैरामीटर के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित की जाय।

> विश्वासभाजन, सरयुग प्रसाद सरकार के उपसचिव।

[4]

पत्रांक–3/ एम–10/ 2008 का⊶634 बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

<u>सभी विभाग।</u>

<u>सभी विभागाध्यक्ष।</u>

<u>सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।</u>

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 31. 01. 2008

विषयः– माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में सरकारी विभाग⁄कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्तियों के वैध या अवैध, नियमित या अनियमित, विधिमान्य या अविधिमान्य होने की जाँच करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में एक स्पष्टीकरण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या 1013 दिनांक 26.03.07 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायलय द्वारा दैनिक वेतनभोगियों आदि के विभिन्न केस—समूहों को सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति को रिमांड किये जाने के परिप्रेक्ष्य में उक्त समिति का गठन किया गया है। सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग उक्त समिति के अध्यक्ष हैं और श्री राजेश भूषण, परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना एवं सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा श्री सी. के. अनिल, सचिव, कृषि विभाग सम्प्रति इसके सदस्य हैं। इस समिति को मात्र माननीय न्यायालय द्वारा रिमांड किये गये मामलों पर ही विचार करना है।

2. परंतु इधर देखा गया है कि कतिपय समान स्थिति वाले दैनिक वेतनभोगियों द्वारा समिति के समक्ष दावे दाखिल किये जाने लगे हैं। साथ ही, कतिपय विभागों द्वारा भी ऐसे मामले इस समिति को भेजे जाने लगे हैं। उक्त संकल्प संख्या 1013 दिनांक 26.03.07 की कंडिका– 4 में यह उल्लेख है कि भविष्य में सदृश किसी न्यायादेश के प्राप्त होने पर उसके संदर्भ में दावों का निष्पादन उक्त समिति द्वारा ही किया जायेगा। इसके आलोक में, कुछ विभागों द्वारा माननीय न्यायालय के ऐसे आदेशों के संदर्भ में दावों का निष्पादन उक्त समिति द्वारा ही किया जायेगा। इसके आलोक में, कुछ विभागों द्वारा माननीय न्यायालय के ऐसे आदेशों के संदर्भ में भी समिति से ही विचार करने का अनुरोध किया जाने लगा है जो समिति को रिमांड नहीं किये गये हैं बल्कि जिसके निष्पादन के लिए संबंधित विभाग को ही विचार करने का निदेश दिया गया है। एक विभाग ने तो एक अवमाननावाद में , बिना जाँच–पड़ताल किये, यह शपथ पत्र दाखिल कर दिया है कि मामला सचिवों की समिति के समस्ति विचाराधीन है।

3. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संकल्प में ''सदृश किसी न्यायादेश' का तात्पर्य उक्त संकल्प के निर्गत की तिथि के बाद पारित ऐसे किसी न्यायादेश से है जिसमें मामला सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति को रिमांड किया गया हो। इसका तात्पर्य समान स्थिति वाले दैनिक वेतनभोगियों के प्रत्येक न्यायादेश से नहीं है। उक्त समिति को सिर्फ वैसे ही मामलों पर विचार करना है जो माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से रिमांड किया गया है। अन्य न्यायादेशों के अनुसरण में समुचित कार्रवाई संबंधित विभाग / कार्यालय को ही, इस विभाग के संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.03.06 के साथ पठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम उमा देवी वाले मामले में दिनांक 10.04.06 को पारित आदेश में निर्धारित पैरामीटर के अनुसार करना है।

> विश्वासभाजन, सरयुग प्रसाद सरकार के उप सचिव।

[5]

पत्रांक—3/एम०—67/2007 का०— 2995 बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग।

पटना-15, दिनांक 06 सितम्बर, 2007

विषय— सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति को सहयोग प्रदान करने हेतु प्रत्येक विभाग में नोडल पदाधिकारी मनोनीत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेशों के आलोक में गठित सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा विभिन्न विभागों के दैनिक वेतनभोगियों से प्राप्त दावों के त्वरित निष्पादन हेतु सभी विभागों में उप सचिव से अन्यून स्तर के किसी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी मनोनीत करने की आवश्यकता महसूस की गयी है ताकि उस विभाग के दैनिक वेतनभोगियों से संबंधित सूचना ससमय नोडल पदाधिकारी से संपर्क कर प्राप्त किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि अपने—अपने विभागों में नोडल पदाधिकारी का मनोनयन करते हुए उनका नाम, पदनाम, आवासीय पता, दूरभाष सं० (कार्यालय/आवास/मोबाइल सभी) उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। विश्वासभाजन

ावश्वासभाजन सरयुग प्रसाद सरकार के उप सचिव

[6]

पत्रांक—बि०क०च०आ०—प्र०—4--04 / 07—1439 / आ० बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पो०—वेटनरी कॉलेज, पटना—14

प्रेषक,

सचिव,

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पटना ।

सेवा में,

<u>सभी विभाग/विभागाध्यक्ष</u> सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 27 अगस्त, 2007

विषयः राज्य सरकार के विभागों / कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतन भोगियों की स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.03.2006 के आलोक में विशेष सीमित परीक्षा के आयोजन हेत्र बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाने वाली अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि रिक्तियों की उपलब्दता एवं अन्य परिस्थितियों के समान रहने पर ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मियों, जिन्होंने कम से कम 240 दिनों तक कार्य किया है, की सरकारी सेवा में रिक्तियों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण सरकार ने किया है, जिसका संसूचन विषयांकित संकल्प द्वारा किया गया है। जो दैनिक वेतन भोगी कर्मी दिनांक 11.12.1990 के पूर्व से कम से कम 240 दिनों से कार्यरत हैं या कार्यरत रहे हैं, वे नियमितीकरण के विचार हेतु योग्य होंगे। समूह "ग" के पदों पर कार्यरत ऐसे दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विशेष सीमित परीक्षा के आधार पर की जायेगी। जिस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया जायेगा उसके लिए निर्धारित अर्हता रहना आवश्यक होगा। परीक्षा में सफल होने एवं रिक्ति उपलब्ध होने पर ही नियुक्ति की जा सकेगी। समूह "ग" में नियुक्ति के पूर्व संबंधित कार्यालयों द्वारा उनके प्रशासी विभाग के माध्यम से रिक्तियों की सम्पुष्टि वित्त विभाग से करा ली जायेगी और दिनांक 31.12.2005 तक की उपलब्ध रिक्तियों एवं उनके भरे जाने की आवश्यकता के संबंध में संबंधित कार्यालय प्रधान / विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र दिया जायेगा। सभी मामलों में सिर्फ एक अवसर (One Time Opportunity) दिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त बातों पर ध्यान देते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या 639, दिनांक 16.03.2006 के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विधिवत अधियाचना भेजने की कृपा की जाये। विशेष सीमित परीक्षा के आयोजन हेतु भेजी जाने वाली अधियाचना का विशेष रूप से तैयार किया गया प्रारूप (प्रपन्न–। एवं प्रपन्न–।। सहित) संलग्न है। अधियाचना भेजने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.07 को भी कृपया ध्यान में रखा जाय।

विश्वासभाजन, जर्नादन प्रसाद सिंह सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विमाग की संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.03.2006 के आलोक में दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति विशेष सीमित परीक्षा के माध्यम से करने हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को मेजी जाने वाली अधियाचना का प्रारूप।

विभाग/कार्यालय प्रधान :--

पद / सेवा का नाम :--1.

- 2. वेतनमान :--
- संवर्ग किस स्तर का है :- राज्य स्तरीय / प्रमण्डल स्तरीय /
 जिला स्तरीय आदि।

4. नियुक्ति पदाधिकारी :---

- रिक्तियों की संख्या, जिनके लिए आयोग से अनुशंसा अपेक्षित है :--
 - (i) अनु० जाति —
 - (ii) अनु० जनजाति–
 - (iii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग—
 - (iv) पिछड़ा वर्ग—
 - (v) पिछड़ा वर्ग की महिला-

- (vi) सामान्य--
- (vii) योग्य -
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :--
- 7. तकनीकी योग्यता यदि आवश्यक हो तो :--
- वांछनीय योग्यता, यदि कोई हो तो :--
- 9. अनुभव, यदि आवश्यक हो तो :--
- 10. आवास संबंधी अनिवार्यता, यदि कोई हो तो :--
- 11. आयु न्यूनतम :--
 - अधिकतम ः
- 12. जम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया जाना है :--
 - (i) केवल शैक्षणिक अंकों के आधार पर -
 - (ii) केवल लिखित परीक्षा के आधार पर —
 - (iii) केवल साक्षात्कार के आधार पर —
 - (iv) उपरोक्त में से किसी दो अथवा इससे अधिक के मिश्रण के आधार पर [कृपया चयन के आधार के संबंध में विस्तृत विवरण अंकित करें, जिसमें विभिन्न खण्डों के पूर्णांक अवश्य अंकित हों।]
- 13. अन्यान्य :--
- नोट :- चयन का आधार स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में उसे विभागीय सचिव/कार्यालय प्रधान के परामर्श से आयोग निर्धारित कर सकेगा।

विभागीय सचिव/कार्यालय प्रधान

का हस्ताक्षर एवं मुहर

कृपया निम्न संलग्न करें :--

- 1. रोस्टर क्लीयरेंस --
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विशेष योग्यता, वांछनीय योग्यता के लिए निर्धारण संबंधी नियम/आदेश/परिपत्र।
- अनुभव, यदि हो तो उससे संबंधित नियम/आदेश/परिपत्र।
- 4. आवास संबंधी कोई अनिवार्यता हो तो उससे संबंधित नियम/आदेश/परिपत्र।
- 5. चयन के आधार से संबंधित नियम/आदेश/परिपत्र।
- संबंधित संवर्ग / सेवा की नियुक्ति नियमावली / आदेश / परिपत्र ।
- 7. अन्य (कृपया उल्लेख करें)।

प्रपत्र–।	
-----------	--

•

.

.

- **- - - -** -

.

योग्यता योग्यता शर्त यदि आधार परीक्षा के /परिपत्र पदाधिकारी हो तो विषय, सिलेबस किस स्तर रवं प्राप्तांक के हैं	वर्ग	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक	तकनीकी	अनुभव	अन्य कोई	चयन का	प्रतियोगिता	नियम	नियुक्ति	अभ्युक्ति
एवं प्राप्तांक के हैं			योग्यता	योग्यता		शर्त यदि	आधार	परीक्षा के	∕ परिपत्र	पदाधिकारी	
						हो तो		विषय, सिलेबस		किस स्तर	3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11								एवं प्राप्तांक		के हैं	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	· · ·			•	प्रपत्र–॥			
	क्रमांक	दैनिक वेतन भोगी	आरक्षण	शैक्षणिक योग्यता /	दैनिक वेतन भोगी	प्रशासी विभाग के	दिनांक 31.12.2005	अभ्युक्ति
		कर्मी का नाम/	कोटि	तकनीकी योग्यता	के रूप में दिनांक	माध्यम से	तक की उपलब्ध	v
113		पदनाम			11.12.90 से पूर्व	रिक्तियों की	रिक्तियों एवं उनके	
					कार्य प्रारंभ करने	सम्पुष्टि वित्त	भरे जाने की	
			:		की तिथि	विभाग से करा	आवश्यकता से	
						ली गयी है	संबंधित कार्यालय	
						अथवा नहीं	प्रधान / विभागाध्यक्ष	
							द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र	
1	1	2	3	4	5	6	7	8

विभागीय सचिव/कार्यालय प्रधान

का हस्ताक्षर एवं मुहर

बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संक<u>ल्प</u>

[7]

पटना—15, दिनांक 13 अगस्त, 2007

विषय :-- माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में सरकारी विभागों / कार्यालयों के दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्तियों के वैध या अवैध, नियमित या अनियमित, विधिमान्य या अविधिमान्य होने की जाँच करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए सचिवों की तीन---सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर संकल्प सं० 1013 दिनांक 26.03.07 तथा संकल्प सं० 1217 दिनांक 10.04.07 के तहत गठित सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के सदस्य श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, सचिव, नगर विकास विभाग की दिनांक 30.06.07 को वार्धक्य सेवानिवृति हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री सी० के० अनिल, विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को उक्त समिति का सदस्य नामित किया जाता है।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

> बिहार राज्यपाल के आदेश से राजीव लोचन सरकार के अपर सचिव

C

पटना-15, दिनांक 13 अगस्त, 2007

ज्ञापाक-3/एम-28/2007 का०-2736

प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 300 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

पटना-15, दिनांक 13 अगस्त, 2007

ज्ञापाक-3/एम-28/2007 का॰-2736

प्रतिलिपि—सभी विभाग⁄सभी विभागाध्यक्ष ⁄राज्यपाल सचिवालय⁄मुख्यमंत्री सचिवालय⁄लोकायुक्त का कार्यालय⁄सभी प्रमंडलीय आयुक्त⁄सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

[8]

बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संकल्प

पटना-15, दिनांक 10. 04. 2007

विषय :-- माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में सरकारी विभागों/ कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्तियों के वैध या अवैध, नियमित या अनियमित, विधिमान्य या अविधिमान्य होने की जाँच करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर संकल्प सं० 1013 दिनांक 26.3.2007 के तहत गठित सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के सदस्य श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, भा० प्र० से० की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कारण उनके स्थान पर श्री राजेश भूषण, भा० प्र० से०, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, पटना को उक्त समिति का सदस्य नामित किया जाता है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

> बिहार राज्यपाल के आदेश से राजीव लोचन सरकार के अपर सचिव

पटना—15, दिनांक 10.04.2007

ज्ञापांक-3/एम०-28/2007 का०-1217

प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 300 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

> राजीव लोचन सरकार के अपर सचिव

पटना—15, दिनांक 10.04.2007

ज्ञापांक—3 / एम०—28 / 2007 का०—1217

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त का कार्यालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। राजीव लोचन सरकार के अपर सचिव

[9]

बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग आदेश

आदेश संञ- 3 / एम०-28 / 2007 का०-1029

पटना—15, दिनांक 29. 03. 07

पिछले कुछ दिनों में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अनेक आदेश पारित किये गये हैं जिनमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के प्रसंग में निदेश दिये गये हैं। उक्त न्यायादेशों का विवरण निम्नानुसार है :--

- (1) सी० डब्लू० जे० सी० नं० 7539 / 2000 सहित 67 याचिकाएँ, जिन पर दिनांक 04.12.06 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार दो महीने के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें तथा समिति 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ताओं के दावों का निष्पादन करे।
- (2) सी० डब्लू० जे० सी० नं० 6504 / 2000 सहित 59 याचिकाएँ, जिन पर दिनांक 30.11.06 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार दो महीने के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें तथा समिति 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ताओं के दावों का निष्पादन करें।
- (3) सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ नं॰ 12794 / 2000 सहित 86 याचिकाएँ, जिन पर दिनांक 22.01.07 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार दो महीने के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें और समिति 5 महीने के अंदर याचिकाकर्ताओं के दावों का निष्पादन करें।
- (4) एल० पी० ए० सं० 798 / 2005 सहित 23 अपीलों, जिन पर दिनांक 11.01.07 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार एक महीना के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें तथा समिति 6 महीने के अंदर अपीलकर्ताओं के दावों का निष्पादन करते हुए निर्णय लें।

2. उपर्युक्त न्यायादेशों के अनुसरण में सचिवों की तीन सदस्यीय समिति का गठन संकल्प सं० 1013 दिनांक 26.03.07 के तहत किया गया है। सचिवों की उक्त समिति को आवश्यक सचिवालीय सहायता प्रदान करने हेतु इस विभाग में एक कोषांग का गठन किया जाता है।

3. उक्त कोषांग के प्रभारी श्री गुलाम रब्बानी, अवर सचिव होंगे, जो अपने मौलिक कर्तव्यों के अतिरिक्त इस कार्य को करेंगे। उन्हें सहायता देने के लिए श्री बंगाली मिश्र, सहायक, प्रशाखा–3 को, अपने मौलिक कर्त्तव्यों के अतिरिक्त कार्य करने हेतु, प्रतिनियुक्त किया जाता है।

4. उक्त कोषांग श्री गुलाम रब्बानी, अवर सचिव के कार्यालय कक्ष में कार्यरत रहेगा, परंतु प्रासंगिक संचिकाओं का उपस्थापन प्रशाखा पदाधिकारी/अवर सचिव (श्री रब्बानी)/उप सचिव, प्रशाखा–3 के माध्यम से होगा।

> सरयुग प्रसाद सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक--3/एम०--28/2007 का०--1029

पटना—15, दिनांक 29.03.07

प्रतिलिपि— (1) श्री गुलाम रब्बानी, अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) श्री बंगाली मिश्र, सहायक, प्रशाखा–3, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—3 एवं प्रशाखा—4, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-3/एम०-28/2007 का०-1029

पटना—15, दिनांक 29.03.07

प्रतिलिपि— कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में पदस्थापित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचनार्थ प्रेषित।

> सरयुग प्रसाद सरकार के उप सचिव

[10]

बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संकल्प

पटना—15, दिनांक 26.03.07

विषय :-- माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में सरकारी विभागों / कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्तियों के वैध या अवैध, नियमित या अनियमित, विधिमान्य या अविधिमान्य होने की जाँच करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में।

पिछले कुछ दिनों में मा० उच्च न्यायालय के द्वारा अनेक आदेश पारित किये गये हैं जिनमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के प्रसंग में निदेश दिये गये हैं। उक्त न्यायादेशों का विवरण निम्नानुसार है :---

(i) सी० डब्लू० जे० सी० नं० 7539/2000 सहित 67 याचिकाएँ, जिन पर दिनांक 04.12.06 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार दो महीने के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें तथा समिति 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ताओं के दावों का निष्पादन करें । (ii) सी० डब्लू० जे० सी० नं० 6504 / 2000 सहित 59 याचिकाएँ, जिन पर दिनांक 30.11.06 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार दो महीने के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें तथा समिति 6 सप्ताह के अन्दर याचिकाकर्ताओं के दावों का निष्पादन करे।

(iii) सी० डब्लू० जे० सी० नं० 12794 / 2000 सहित 86 याचिकाएँ, जिन पर दिनांक 22.01.07 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार दो महीने के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें और समिति 5 महीने के अंदर याचिकाकर्ताओं के दावों का निष्पादन करे।

(iv) एल०पी०ए० सं० 798 / 2005 सहित 23 अपीलों, जिन पर दिनांक 11.01.07 को समेकित आदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, बिहार एक महीना के अंदर तीन सचिवों की एक समिति गठित करें तथा समिति 6 महीने के अंदर अपीलकर्ताओं के दावों का निष्पादन करते हुए निर्णय लें।

2. उपर्युक्त न्यायादेशों के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार सचिवों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है :--

(i)	श्री आमिर सुबहानी,	– अध्यक्ष
	सचिव,	
	कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग	
(ii)	श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी,	– सदस्य
	अपर वित्त आयुक्त (संसाधन)	
(::D	भी सफेल प्रयाद सिन्हा	

 (iii) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, — सदस्य सचिव, नगर विकास विभाग

3. किसी भी विभाग से संबंधित मामले पर निर्णय करते समय बैठक में संबंधित विभाग के सचिव को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जायेगा। आवेदकों के दावों के भली—भाँति सत्यापित कर समिति के समक्ष तथ्य रखने का उत्तरदायित्व प्रशासी विभाग के सचिव का ही होगा ।

4. भविष्य में सदृश किसी न्यायादेश के प्राप्त होने पर उसके संदर्भ में भी दावों का निष्पादन उक्त समिति द्वारा ही किया जायेगा।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

> बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

पटना—15, दिनांक 26.03.07

2

ज्ञापांक—3/एम०—28/2007 का०—1013

प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 300 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

पटना—15, दिनांक 26.03.07

ज्ञापांक—3 / एम०—28 / 2007 का०—1013

प्रतिलपि— सभी विभाग⁄सभी विभागाध्यक्ष⁄राज्यपाल सचिवालय⁄मुख्यमंत्री सचिवालय⁄लोकायुक्त का कार्यालय⁄सभी प्रमंडलीय आयुक्त⁄सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

> राजीव लोचन सरकार के अपर सचिव

[11]

पत्र संख्या--3/एम०--40/2007 का०--948 बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव⁄सचिव, <u>सरकार के सभी विभाग</u> <u>सभी विभागाध्यक्ष</u> सभी प्र<u>मंडलीय आयुक्त</u> सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक 21. 03. 07

विषयः— समूह 'ग' के पदों पर कार्य पर रखे गये दैनिक वेतनभोगियों की नियमित नियुक्ति के लिए एक अवसर के तहत विशेष सीमित परीक्षा के आयोजन हेतु अधियाचना भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में इस विभाग के संकल्प सं० 639 दिनांक 16.03.06 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि समूह—'ग' के पदों पर कार्य पर रखे गये दैनिक वेतनभोगियों की नियमित नियुक्ति सिर्फ एक अवसर (One time opportunity) के तहत बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विशेष सीमित परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर हो सकती है। इस हेतु आधार एवं प्रक्रिया का प्रावधान उक्त संकल्प की कंडिका— 2(1) एवं (2) के तहत किया गया है। एतदर्थ पत्रांक 1533 दिनांक 03.06.06 में की गयी अपेक्षा के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दिनांक 31.08.2006 तक अधियाचना भेज दी जानी थी। परंतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 437 / आ० दिनांक 12.03.07 द्वारा सूचित किया गया है कि किसी विभाग अथवा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोग को रिक्तियों की, विहित प्रपन्न में आरक्षण कोटिवार, अधियाचना नहीं भेजी गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों / कार्यालयों से संबंधित ऐसे मामलों संबंधी न्यायादेशों के आलोक में भी आयोग द्वारा ऐसी परीक्षा का आयोजन अपेक्षित है, परंतु एतदर्थ आयोग को संबंधित विभाग / कार्यालय से रिक्तियों की अधियाचना (विहित प्रपन्न में आरक्षण कोटिवार) का प्राप्त होना आवश्यक है।

3. अतः अनुरोध है कि इस विभाग के उक्त संकल्प की कंडिका—2 (1) एवं (2) के आलोक में समूह—'ग' के पदों पर कार्य पर रखे गये दैनिक वेतनभोगियों की नियमित नियुक्ति के लिए विशेष सीमित परीक्षा के आयोजन हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियों की सूची तथा आरक्षण रोस्टर अनुमोदित कराने के साक्ष्य के साथ विहित प्रपत्र में अधियाचना अविलम्ब भेजने की कृपा की जाय।

> विश्वासभाजन, सरयुग प्रसाद सरकार के उप सचिव

[12]

पत्रांक 3/सी०-139/2006 (खंड) का०-2532 बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

<u>आयुक्त एवं सचिव / सचिव, सभी विभाग</u> <u>सभी विभागाध्यक्ष</u> <u>सभी प्रमंडलीय आयुक्त</u> सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक 05. 09. 06

विषय :-- दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्रेटरी, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य वाले मामले में दिनांक 10.04.2006 को पारित आदेश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक दिनांक 10.04.2006 को उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा पारित आदेश [(2006) 4 एस॰ सी॰ सी॰–1] की प्रतिलिपि सूचना एवं अपेक्षित कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जाती है। विश्वासभाजन,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

THE

SUPREME COURT CASES

(2006) 4 SCC

(2006) 4 Supreme Court Cases 1

(BEFORE Y.K. SABHARWAL, C.J. AND ARUN KUMAR, G.P. MATHUR, C.K. THAKKER AND P.K. BALASUBRAMANYAN, JJ.)

SECRETARY, STATE OF KARNATAKA AND OTHERS

Appellants

Versus

UMA DEVI (3) AND OTHERS

Respondents.

. .

Civil Appeals Nos. 3595-3612 of 1999 with Nos. 1851-2063, 3849 of 2001, 3520-24 of 2002 and 1968 of 2006, decided on April 10, 2006

A. Constitution of India-Arts. 32, 136, 141, 142 & 226 and 16, 14 & 309 and 38 & 39 (a) - Public employment --- Absorption, regularisation, or permanent continuance of temporary, contractual, casual, dailywage or adhoc employees appointed/ recruited and continued for long in public employement dehors the constitutional scheme of public employment- Issuance of directions for, and for stay of regular recruitment process for the posts concerned- Impermissibility of - Need for addressing concerns of equity for all, and not of just the few before the court, by upholding of constitutional scheme of public employment, whose hallmark is equality of opportunity--- Held, Supreme Court and High Courts should not issue such directions unless the recruitment itself was made regularly and in terms of the constitutional scheme-Reasons for, discussed extensively- Financial/ economic impact of such directions, as a factor - The wide powers under Art. 226 are not intended to be used for issuance of such directions, certain to defeat the concept of social justice, equal opportunity for all and the constitutional scheme of public employment--- Supreme Court is bound to insist on the State making regular recruitments and appointments and not to encourage or shut its eyes to the persistent transgression of the rules of regular recruitment- It is erroneous for Supreme Court to merely consider equity for the handful of people who have approached the court with a claim whilst ignoring equity for the teeming millions seeking employment and a fair opportunity for competing for employment--- Further courts must be careful in ensuring that they do not interfere unduly with the economic/ financial arrangement of the affairs of the State or its instrumentalities.

-- Phenomenon of "litigious employment" which had arisen due to issuance of such directions by High Courts, and even Supreme Court, highlighted -- Held, merely because an employee had continued under cover of an order of the court, under "litigious employment" or had been continued beyond the term of his appointment by the State or its instrumentalities, he would not be entitled to any right to be absorbed or made permanent in service, merely on the strength of such continuance, if the original appointment was not made by following a due process of selection as envisaged by the relevant rules -- It is further not open to the court to prevent regular recruitment at the instance of such employees -- Unsustainability of claim to permanence on basis of long continuance in irregular or illegal public employment, discussed in detail.

- Held, decisions of the Supreme Court running counter to or containing directions counter to these

principles will stand denuded of their status as precedents— Union and State Governments and their instrumentalities directed to set in motion the process for regular recruitment in cases where temporary or daily- wagers were employed against vacant sanctioned posts, within six months of the date of this judgment — Further, cases of *irregular* appointments (not illegal appointments) of duly qualified persons in duly sanctioned vacant posts, who had continued to work for ten years or more, but without the intervention of orders of courts or tribunals, may have to be considered for regularisation on merits in light of the principles laid down in this case, as a one-time measure, within six months of the date of this judgment — Service Law.

B. Constitution of India— Arts. 142, 32 & 136 and Parts III and IV— Role of Supreme Court— Individualising of justice to suit a given situation — Scope for — Assumption re parties before the court being representative of the cause— Propriety— Need for balancing of rights of the numerous not before the court as against the few who are before the court— Held, We have given unto ourselves a system of governance by rule of law— The role of the Supreme Court is to render justice according to law— It is expected to decide questions of law for the country and not to decide individual cases without reference to principles of law— In the name of individualising justice it is not possible for the Supreme Court to shut its eyes to the constitutional scheme and the rights of the numerous as against the few who are before the court— Directive principles of State policy have also to be reconciled with the rights available to the citizen under Part III and the obligation of the State to one and all and not to a particular group of citizens — Practice and Procedure— Rule of law— Meaning of — Implications of a system of governance by rule of law, for Apex Court of the land.

C. Constitution of India—Arts. 141, 32, 136 & 142 — Duty of Supreme Court acting as Constitutional Court— Role and approach of a Constitutional Bench of Supreme Court— Uncertainty and divergence of approach and views in decisions of Supreme Court — Need for firm decision by Supreme Court one way or another, emphasised— Held, in such cases it is necessary to put an end to uncertainty and clarify the legal position emerging from the constitutional scheme, leaving the High Courts to follow necessarily the law thus laid down—A Constitution Bench has to lay down the law—It has to approach the question as a constitutional court should —Precedents.

.

D. Constitution of India—Art. 142—Exercise of power under—Scope—"Complete Justice" —Meaning of—Held, complete justice would be justice according to law, and though it would be open to Supreme Court to mould the relief, it would not grant relief which would amount to perpetuating an illegality—Hence in doing complete justice under Art. 142, Supreme Court would not normally give a go-by to the procedure established by law in the matter of public employment.

E. Constitution of India—Arts. 226, 32, 236 and 142—Interference in service matters—Interim directions—Scope for—Absorption, regularisation, or permanent continuance of temporary, contractual, casual, daily-wage or ad hoc employees appointed/recruited dehors the constitutional scheme of public employment—Scope for issuance of interim directions for—Held, in such cases High Court may not be justified in issuing interim directions—Reasons for, discussed—Service Law—Interim relief—Service Law.

F. Constitution of India—Art. 226—Exercise of power under—Relief that may be granted—Role of High Courts under—Held, the wide powers under Art. 226 are not intended to be used for the purpose of perpetuating illegalities, irregularities or improprieties—Role of High Courts as sentinels and as guardians of equal rights protection should not be forgotten.

G. Service Law—Casual Labour/Temporary employee—Status and rights of—Unequal bargaining power—Effect—Held, such employees do not have any right to regular or permanent public employment— Further, temporary, contractual, casual, ad hoc or daily wage public employment must be deemed to be accepted by the employee concerned fully knowing the nature of it and the consequences flowing from it—Reasons for, discussed in detail—Labour Law.

H. Constitution of India-Arts. 136, 32 and 14-Adverse effect of trying to individualise justice on inconsistent precedents constituting the binding law of the land-Jurisprudence-Justice versus law-Equity-Equity versus law.

I. Constitution of India—Arts. 141 and 142—Direction given by Constitutional Bench for overruling of all past precedents which ran counter to principles laid down as law herein.

J. Service Law—Appointment—Modes of appointment—Permissible modes—Absorption, regularisation, or permanent continuance of temporary, contractual, casual, daily-wage or ad hoc employees appointed/recruited dehors the constitutional scheme of public employment on issuance of directions by court therefor—Held, issuance of such directions amount to creating another mode of public appointment, which is not permissible.

Allowing the appeals of the State, the Supreme Court

Held:

It is not possible to accept the statement that the Supreme Court should individualise justice to suit a given situation, unqualified as it appears to be. The Supreme Court is not only the constitutional court, it is also the highest court in the country, the final court of appeal. By virtue of Article 141 of the Constitution, what the Supreme Court lays down is the law of the land. Its decisions are binding on all the courts. Its main role is to interpret the constitutional and othere statutory provisions bearing in mind the fundamental philosophy of the Constitution. We have given unto ourselves a system of governance by rule of law. The role of the Supreme Court is to render justice according to law. As one jurist put it, the Supreme court is expected to decide questions of law for the country and not to decide individual cases without reference to such principles of law. Consistency is a virtue. Passing orders not consistent with its own decisions on law, is bound to send out confusing signals and usher in judicial chaos. Its role, therefore, is really to interpret the law and decide cases coming before it, according to law. Orders which are inconsistent with the legal conclusions arrived at by the court in the selfsame judgment not only create confusion but also tend to usher in arbitrariness highlighting the statement, that equity tends to vary with the Chancellor's foot. (Para 20)

In the name of individualising justice, it is also not possible for the Supreme Court to shut its eyes to the constitutional scheme and the rights of the numerous as against the few who are before the court. The directive principles of State policy have also to be reconciled with the rights available to the citizen under Part III of the Constitution and the obligation of the State to one and all and not to a particular group of citizens.

(Para 51)

Dharwad District PWD Literate Daily Wage Employees Assn. v. State of Karnataka (1990) 2SCC 396 : 1990 SCC (L & S) 274 : (1990) 12 ATC 902, overruled.

The Supreme Court has on occasions issued directions which could not be said to be consistent with the constitutional scheme of public employment. Such directions are issued presumably on the basis of equitable

considerations or individualisation of justice. The question arises, equity to whom? Equity for the handful of people who have approached the court with a claim, or equity for the teeming millions of this country seeking employment and seeking a fair opportunity for competing for employment? When one side of the coin is considered the other side of the coin has also to be considered and the way open to any court of law or justice is to adhere to the law as laid down by the Consitution and not to make directions, which at times, even if do not run counter to the constitutional scheme, certainly tend to water down the constitutional requirements.

(Para 5)

This bypassing of the constitutional scheme cannot be perpetuated by the passing of orders without dealing with and deciding the constitutional validity of the interim and final orders of the Supreme Court and High Courts, which have issued directions for regularisation, permanent continuation or absorption without referring to the legal position obtaining thereby, and which have been relied on by the respondent employees to claim the same relief. While aproaching the questions falling for decision before this Constitution Bench, it is necessary to bear this in mind and to bring about certainty in the matter of public employment. The claim to a parity of treatment based on such orders also highlights the need for the Supreme Court to formally lay down the law on the question and ensure certainty in dealings relating to public employment. The very divergence in approach in the Supreme Court, the so- called equitable approach made in some, as against those decisions which have insisted on the rules being followed also justifies a firm decision by the Supreme Court one way or the other. It is necessary to put an end to uncertainty and clarify the legal position emerging from the constitutional scheme, leaving the High Courts to follow necessarily, the law thus laid down. This Constitution Bench has to lay down the law. It has to approach the question as a constitutional court should.

(Para 14 and 10)

Persons who get employed, without the following of a regular procedure or even through the backdoor or on daily wages, have been approaching the courts, seeking directions to make them permanent in their posts and to prevent regular recruitment to the posts concerned. The courts have not always kept the legal aspects in mind and have occasionally even stayed the regular process of employment being set in motion and in some cases even directed that these illegal, irregular or improper entrants be absorbed into service. A class of employment which can only be called " litigious employment" has risen like a phoenix seriously impairing the constitutional scheme . While directing that appointments, temporary or casual, be regularised or made permanent, the courts are swayed by the fact that the person concerned has worked for some time and in some cases for a considerable length of time. Such an argument fails when tested on the touchstone of constitutionality and equality of opportunity enshrined in Article 14 of the Constitution. Merely because a temporary employee or a casual wage worker is continued for a time beyond the term of his appointment, he would not be entitled to be absorbed in regular service or made permanent, merely on the strength of such continuance, if the original appointment was not made by following a due process of selection as envisaged by the relevant rules. It is not open to the court to prevent regular recruitment at the instance of temporary employees whose period of employment has come to an end or of ad hoc employees who by the very nature of their appointment, do not (Paras 4, 43 & 45) acquire any right.

It is not as if the person who accepts an engagement either temporary or casual in nature, is not aware of the nature of his employment. He accepts the employment with open eyes. It may be true that he is not in a position to bargain— not at arm's length— since he might have been searching for some employment so as to eke out his livelihood and accepts whatever he gets. But on that ground alone it would not be appropriate to jettison the constitutional scheme of appointment, perpetuate illegalities and to take the view that a person who has temporarily or casually get employed should be directed to be continued permanently. By doing so it will be creating another mode of public appointment which is not permissible. If the court were to void a contractual employment of this nature on the ground that the parties were not having equal bargaining power, that too would not enable the court to grant any relief to that employee. A total embargo on such casual or temporary employment is not possible given the exigencies of administration and if imposed, would only mean that some people who at least get employment temporarily, contractually or casually, would not be getting even that employment when securing of such employment brings at least some succour to them. After all innumerable citizens of our vast country are in search of employment and one is not compelled to accept a casual or temporary employment if one is not inclined to go in for such an employment. It is in that context that one has to proceed on the basis that the employment was accepted fully knowing the nature of it and the consequences flowing from it. (Paras 45, 49 and 13)

When the court is approached for relief by way of a writ, the court has necessarily to ask itself whether the person before it had any legal right to be enforced. Considered in the light of the very clear constitutional scheme, it cannot be said that the temporary, contractual, casual or daily-wage employees have been able to establish a legal right to be made permanent even though they have never been appointed in terms of the relevant rules or in adherence of Articles 14 and 16 of the Constitution. It is therefore not possible to accept the argument that the State action in not regularising the employees was not fair within the framework of the rule of law. (Paras 45 & 49)

Orders for absorption, regularisation or permanent continuance of such employees are passed apparently in exercise of the wide powers under Article 226 of the Constitution. The wide powers under Article 226 are not intended to be used for a purpose certain to defeat the concept of social justice and equal opportunity for all, subject to affirmative action in the matter of public employment as recognised by our Constitution. It is time that the courts desist from issuing orders preventing regular selection or recruitment at the instance of such persons and from issuing directions for continuance of those who have not secured regular appointments as per procedure established. The passing of orders for continuance tends to defeat the very constitutional scheme of public employment. It has to be emphasised that this is not the role envisaged for the High Courts in the scheme of things and their wide powers under Article 226 are not intended to be used for the purpose of perpetuating illegalities, irregularities or improprieties or for scuttling the whole scheme of public employment. Its role as the sentinel and as the guardian of equal rights protection should not be forgotten. (Para 4)

The High Courts acting under Article 226 should not, therefore, ordinarily issue directions for absorption, regularisation, or permanent continuance unless the recruitment itself was made regularly and in terms of the constitutional scheme. Merely because an employee had continued under cover of an order of the court, under " litigious employment" he would not be entitled to any right to be absorbed or made permanent in the service. In fact, in such cases, the High Court may not be justified in issuing interim directions, since, after all, if ultimately the employee approaching it is found entitled to relief, it may be possible for it to mould the relief in such a manner that ultimately no prejudice will be caused to him, whereas an interim direction to continue his employment would hold up the regular procedure for selection or impose on the State the burden of paying an employee who is really not required. The courts must be careful in ensuring that they do not interfere unduly

with the economic arrangement of its affairs by the State or its instrumentalities or lend themselves the instruments to facilitate the bypassing of the consitutional and statutory mandates. (Paras 43 & 12)

Obviously, the State is also controlled by economic considerations and financial implications of any public employment. The viability of the department or the instrumentality or of the project is also of equal concern for the State. The State works out the scheme taking into consideration the financial implications and the economic aspects. The courts cannot impose on the State a financial burden of this nature by insisting on regularisation or permanence in employment, when those employed temporarily are not needed permanently or regularly. A direction to give permanent employment to all those who are being temporarily or casually employed in a public sector undertaking may cause the financial burden on such undertaking to become so heavy that the undertaking itself may collapse under its own weight. It is not as if this has not happened. So, the court ought not to impose a financial burden on the State by such directions, as such directions may turn counterproductive. (Para 19)

The State should not be allowed to depart from the normal rule and indulge in temporary employment in permanent posts. Regular recruitment should be insisted upon, only in a contingency can an ad hoc appointment be made in permanent vacancy, but the same should soon be followed by a regular recruitment and appointments to non- available posts should not be taken note of for regularisation. The Supreme Court is bound to insist on the State making regular and proper recruitments and is bound not to encourage or shut its eyes to the persistent transgression of the rules of regular recuitment. The direction to make permanent can only encourage the State, the model employer, to flout its own rules and would confer undue benefits on a few at the cost of many waiting to compete. It is not the role of the courts to ignore, encourage or approve appointments made or engagements given outside the constitutional scheme. The approving of such acts also results in depriving many of their opportunity to compete for public employment, it would also mean that appointments made otherwise than by a regular process of selection would become the order of the day completely jettisoning the constitutional scheme of appointment. (Paras 26, 33 & 13)

Complete justice would be justice according to law and though it would be open to the Supreme Court to mould the relief the Supreme Court would not grant a relief which would amount to perpetuating an illegality. (Para 44)

÷

2

The power to make an order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before the Supreme Court, would not normally be used for giving the go- by to the procedure established by law in the matter of public employment. Take the situation arising in the cases on appeal from the State of Karnataka. Therein, after *Dharwad decision* (1990) 2 SCC 396, the Government had issued repeated directions and mandatory orders that no temporary or ad hoc employment or engagement be given. Some of he authorities and departments had ignored those directions or defied those directions and had continued to give employment, specifically interdicted by the orders issued by the executive. Some of the appointing officers have even been punished for their defiance. It would not be just or proper to pass an order in exercise of jurisdiction under Article 226 or 32 of the Constitution or in exercise of power under Article 142 of the Constitution permitting those persons engaged to be absorbed or to be made permanent based on their appointments or engagements. (Para)

On a survey of judgments of the Supreme Court on the point, the predominant view is seen to be that

appointments made without following the due process or the rules for appointment did not confer any right on the appointees and that the court cannot direct their absorption or regularisation or re-engagement or making them permanent. Those decision which run counter to the principles settled in this decision or in which directions running counter to what has been held herein have been given, will stand denuded of their status as precedents. (Paras 39, 33 & 54)

52. Normally, what is sought for by such temporary employees when they approach the court, is the issue of a writ of mandamus directing the employer, the State or its instrumentalities, to absorb them in permanent service or to allow them to continue. In this context, the question arises whether a mandamus could be issued in favour of such persons. At this juncture, it will be proper to refer to the decision of the Constitution Bench of this Court in *Rai Shivendra Bahadur* (*Dr.*) *V. Governing Body of the Nalanda College.* That case arose out of a refusal to promote the writ petitioner therein as the Principal of a college. This Court held that in order that a mandamus may issue to compel the authorities to do something, it must be shown that the statute imposes a legal duty on the authority and the aggrieved party had a legal right under the statute or rule to enforce it. This classical position continues and a mandamus could not be issued in favour of the employees directing the Government to make them permanent since the employees cannot show that they have an enforceable legal right to be permanently absorbed or that the State has a legal duty to make them permanent.

53. One aspect needs to be clarified. There may be cases where irregular appointments (not illegal appointments) as explained in *S.V. Naryanappa, R.N. Nanjundappa* and *B.N. Nagaranjan* and referred to in para 15 above, of duly qualified persons in duly sanctioned vacant posts might have been made and the employees have continued to work for ten years or more but without the intervention of orders of the courts or of tribunals. The question of regularisation of the services of such employees may have to be considered on merits in the light of the principles settled by this court in the cases above referred to and in the light of this judgment. In that context, the Union of India, the State Governments and their instrumentalities should take steps to regularise as a one- time measure, the services of such *irregularly* appointed, who have worked for ten years or more in duly sanctioned posts but not under cover of orders of the courts or of tribunals and should further ensure that regular recruitments are undertaken to fill those vacant sanctioned posts that require to be filled up, in cases where temporary employees or daily wagers are being now employed. The process must be set in motion within six months from this date. We also clarify that regularisation, if any already made, but not sub judice, need not be reopened based on this judgment, but there should be no further bypassing of the constitutional requirement and regularising or making permanent, those not duly appointed as per the constitutional scheme.

54. It is also clarified that those decisions which run counter to the principle settled in this decisions, or in which directions running counter to what we have held herein, will stand denuded of their status as precedents.

55. In cases relating to service in the Commercial Taxes Department, the High Court has directed that those engaged on daily wages, be paid wages equal to the salary and allowances that are being paid to the regular employees of their cadre in government service, with effect from the dates from which they were respectively appointed. The objection taken was to the direction for payment from the dates of engagment. We find that the High Courts had clearly gone wrong in directing that these employees be paid salary equal to the salary and allowances that are being paid to the regular employees of their cadre in government service, with effect from the date from which they were respectively engaged or appointed. It was not open to the High Court to impose such an obligation on the State when the very questions before the High Court in the case was whether these employees were entitled to have equal pay for equal work so called and were entitled to any other benefit. They had also been engaged in the teeth of directions not to do so. We are, therefore, of the view that, at best, the division Bench of the High Court should have directed that wages equal to the salary that is being paid to regular employees be paid to these daily-wage employees with effect from the date of its judgment. Hence, that part of the direction of the Division bench is modified and it is directed that these daily-wage earners be paid wages equal to the salary at the lowest grade of employees of their cadre in the Commercial Taxes Department in government service, from the date of the judgment of the Division Bench of the High Court. Since, they are only daily-wage earners, there would be no question of other allowances being paid to them. In view of our conclusion, that the courts are not expected to issue directions for making such persons permanent in service, we set aside that part of the direction of the High Court directing the Government to consider their cases for regularisation. We also notice that the High Court has not adverted to the aspect as to whether is was regularisation or it was giving permanency that was being directed by the High Court. In such a situation, the direction in that regard will stand deleted and the appeals filed by the State would stand allowed to that extent. If sanctioned posts are vacant (they are said to be vacant) the State will take immediate steps for filling those posts by a regular process of selection. But when regular recruitment is undertaken, the respondents in CAs Nos. 3595-612 and those in the Commercial Taxes Department similarly situated, will be allowed to compete, waiving the age restriction imposed for the recruitment and giving some weightage for their having been engaged for work in the Department for a significant period of time. That would be the extent of the exercise of power by this Court under Article 142 of the Constitution to do justice to them.

56. Coming to Civil Appeals Nos. 1861-2063 of 2001, in view of our conclusion on the questions referred to, no relief can be granted, that too to an indeterminate number of members of the association. These appointments or engagements were also made in the teeth of directions of the Government not to make such appointments and it is impermissible to recognise such appointment made in the teeth of directions on issued by the government in that regard. We have also held that they are not ligally entitled to any such relief. Granting of the relief claimed would mean paying a premium for defiance and insubordination by those concerned who engaged these persons against the interdict in that behalf. Thus, on the whole, the appellants in these appeals are found to be not entitled to any relief. These appeals have therefore, to be dismissed.

57. CAs Nos. 3520-24 of 2002 have also to be allowed since the decision of the Zilla Parishads to make permanent the employees cannot be accepted as legal. Nor can the employees be directed to be treated as employees of the Government, in the circumstances. The direction of the High Court is found unsustainable.

58. In the result, Civil Appeals Nos. 3595-3612 of 1999, Civil Appeal No. 3849 of 2001, Civil Appeals Nos. 3520-24 of 2002 and civil appeal arising out of Special Leave Petitions (Civil) Nos. 9103-05 of 2001 are allowed subject to the direction issued under Article 142 of the Constitution in para 54 and the general directions contained in para 52 of the judgment and Civil Appeals Nos. 1861-2063 of 2001 are dismissed. There will be no order as to costs.

पत्रांक—3 / एम०—12 / 2006—का०—1534

[13]

बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

रविकान्त, सरकार के सचिव।

सेवा में,

<u>सभी विभाग</u> <u>सभी विभागाध्यक्ष</u> <u>सभी प्रमंडलीय आयुक्त</u> <u>सभी जिला पदाधिकारी</u> सभी कोषागार पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक 03. 06. 06

विषय :-- राज्य सरकार के विभागों / कार्यालयों में दिनांक 11.12.1990 के बाद कार्य पर रखे गये दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को कार्यमुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं0-3/सी0-15/2004-489 दिनांक 10.5.2005 के द्वारा राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की नियुक्ति संबंधी कट-ऑफ डेट (01-08-1985) को पुनर्निर्धारित कर 11.12.1990 कर दिया गया है। तत्पश्चात् संकल्प संठ 639 दिनांक 16.3.2006 के तहत दिनांक 11.12.90 के पूर्व से कार्यरत/कार्यरत रहे दैनिक वेतनभोगियों की नियमित नियुक्ति/समायोजन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। उक्त संकल्प की कंडिका-4 के अनुसार दिनांक 11.12.1990 के बाद कार्य पर रखे गये सभी प्रकार के दैनिक वेतनभोगियों को दिनांक 16.3.2006 से एक माह के अन्दर हटा दिये जाने का निदेश है। इस आलोक में जिला समाहरणालयों में 11.12.90 के बाद उम्मीदवार पिउन के रूप में दैनिक मजदूरी पर रखे गये कर्मियों को भी कार्यमुक्त कर दिया जाना आवश्यक है।

2. अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि राज्य सरकार के विभागों / कार्यालयों में दिनांक 11.12.90 के बाद किसी भी पद के विरुद्ध कार्य पर रखे गये दैनिक वेतनभोगियों तथा उम्मीदवार पिउनों को दिनांक 15.04.2006 तक कार्यमुक्त कर दिये जाने के निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन तत्काल इस विभाग को भेजने की कृपा करें। उल्लेखनीय है कि ऐसा नहीं करने पर तथा तत्संबंधी भुगतान किये जाने पर उसकी वसूली संबंधित कार्यालय प्रधान के वेतन से करने तथा दैनिक वेतनभोगियों को गये विपत्र में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण---पत्र कि "दिनांक 11.12.90 के बाद कार्य पर रखे गये दैनिक वेतनभोगियों को मजदूरी भुगतान से संबंधित कोषागार को भेजे गये विपत्र में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण---पत्र कि "दिनांक 11.12.90 के बाद कार्य पर रखे गये दैनिक वेतनभोगियों / उम्मीदवार पिउनों की मजदूरी भुगतान की राशि प्रस्तुत विपत्र में सम्मिलित नहीं है" का उल्लेख किये जाने का प्रावधान उपर्युक्त प्रासंगिक संकल्प में किया गया है।

विश्वासभाजन रविकान्त सरकार के सचिव

पत्रांक 3/एम०-30/2005-का०-1533 बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजीव लोचन,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

<u>सरकार के सभी विभाग</u> <u>सभी विभागाध्यक्ष</u> सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 03. 06. 2006

विषय :- राज्य सरकार के विभागों / कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगियों को स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.3.2006 की कंडिका—9 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त संकल्प में, दैनिक वेनतनभोगियों की नियमित नियुक्ति/समायोजन हेतु, विहित प्रक्रियाओं को एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सम्पन्न कराने हेतु निम्नांकित रूप में समय—सीमा के निर्धारण का निर्णय लिया गया है—

क्रमांक		प्रक्रिया
1.	30 जून, 2006 तक	(1) रिक्तियों की गणना एवं वित्त विभाग से उसकी संपुष्टि कराया जाना।
		(2) 5 वर्षों तक लगातार (प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिनों तक) कार्यरत रहने
		के आधार पर और उम्र के आधार पर दैनिक वेतनभोगियों की वरीयता का
		निर्धारण, वरीयता सूची का प्रकाशन और आपत्ति आमंत्रित किया जाना।
2	31 जुलाई, 2006 तक	(1) उपलब्ध रिक्तियों एवं उनके भरे जाने की आवश्यकता के संबंध
	J. J	में संबंधित कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को
		दिया जाना और प्रशासी विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना।
		(2) वरीयता सूची के संबंध में प्राप्त आपत्ति (यदि कोई हो) का निष्पादन और
		अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन।
		(3) रिक्ति बिल्कुल नहीं रहने की स्थिति में संकल्प की कंडिका—5 के प्रावधानों
		के अनुसार कार्यमुक्त किया जाना।

3	15 अगस्त, 2006 तक	(1) समूह 'घ' के संबंध में संकल्प की कंडिका2 (3) (ii) एवं (iii) के अनुसार समिति का गठन ।
4	31 अगस्त, 2006 तक	(1) समूह 'ग' के संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियों की कोटिवार अधियाचना भेजा जाना।
		(2) समूह 'घ' के संबंध में संबंधित गठित समिति को कोटिवार रिक्तियों की सूचना तथा वरीयता सूची भेजा जाना।
5	30 सितम्बर, 2006 तक	समूह 'घ' के संबंध में गठित समिति द्वारा संबंधित कार्यालय / कार्यालयों से वांछित सूचना प्राप्त करना, निर्धारित सभी शर्तों के अनुपालन की जाँच करना और रिक्तियों की उपलब्धता / अनुमान्यता के अनुसार विचार कर पैनेल तैयार कर संबंधित कार्यालय / कार्यालयों को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजना।
6	31 ॲक्टूबर, 2006 तक	समूह 'घ' के सबंध में अनुशंसित पैनेल के आलोक में समायोजन द्वारा नियुक्ति।
7	30 नवम्बर, 2006 तक	समूह 'घ' के संबंध में समायोजित नहीं हो सकनेवाले दैनिक वेतनभोगियों को कार्यमुक्त किया जाना।
8	आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने के एक माह के अन्दर	समूह 'ग' के संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विशेष सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असफल कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को कार्यमुक्त किया जाना।

अनुरोध है कि उक्त समय—सीमा से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अविलम्ब अवगत करा दिया जाय तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। साथ ही, संकल्प की कंडिया—4 के अनुपालन की समीक्षा कर उसके उल्लंघन होने की दशा में समुचित कार्रवाई भी की जाय।

> विश्वासभाजन राजीव लोचन सरकार के अपर सचिव

पटना--- 15, दिनांक 03.06.2006

ज्ञापांक—3 / एम०—30 / 2005—का०--1533

प्रतिलिपि– अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पो.–भेटनरी कॉलेज, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

निबंधन सं.पी.टी.-40



[15]

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

	5 वैशाख 1928 (श०)	
(सं० पटना 322)	पटना, मंगलवार, 25 अप्रील 2006	
	सं॰ 3/एम-30/2005 का॰- 63 9	
	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विमाग	

16 मार्च 2006

विषय :-- राज्य सरकार के विभागों/ कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगियों को स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 5940, दिनांक 18 जून 1993 के तहत यह निर्णय लिया गया था कि दिनांक 1 अगस्त 1985 के बाद अनियमित रूप से कार्य पर रखे गये दैनिक वेतनभोगी व्यक्तियों की ऐसी नियुक्ति रद्द कर दी जाय, सरकारी कार्यालयों में ऐसी नियुक्तियाँ नहीं की जाय और दिनांक 1 अगस्त 1985 के पूर्व से कम—से—कम 240 दिनों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को अन्य परिस्थितियाँ समान रहने पर नियुक्ति में अधिमानता दी जाय। राज्य सरकार एवं विभिन्न कर्मचारी संघों के साथ दिनांक 21 जनवरी 2005 को हुई सहमति के आलोक में राज्य सरकार के विभागों / कार्यालयों में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए संकल्प संख्या 489, दिनांक 10 मई 2005 के तहत कट—आफ डेट दिनांक 1 अगस्त 1985 से बढ़ाकर दिनांक 11 दिसम्बर 1990 किया गया और उन्हें नियुक्ति में अधिमानता देने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु योजना बनाने के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया गया।

2. उपर्युक्त समिति द्वारा तैयार की गई योजना के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रिक्तियों की उपलब्धता एवं अन्य परिस्थितियों के समान रहने पर ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मियों, जिन्होंने कम से कम 240 दिनों तक का कार्य किया है को सरकारी सेवा में रिक्तियों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति की जायेगी, जिसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी:--

(1) जो दैनिक वेतनभोगी 11 दिसम्बर 1990 के पूर्व से कम—से—कम 240 दिनों से कार्यरत हैं या कार्यरत रहे हैं वे नियमितिकरण पर विचार हेतु योग्य होंगे। समूह ''ग'' के पदों पर कार्यरत ऐसे दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विशेष सीमित परीक्षा के आधार पर की जायेगी। समूह ''घ'' में ऐसी नियुक्ति निम्नतम वेतनमान के पद पर समायोजन के आधार पर की जायेगी। परन्तु सभी मामलों में सिर्फ एक अवसर (One time opportuntiy) दिया जायेगा, जिसमें सफल नहीं रहने पर या रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण समायोजन नहीं होने पर ऐसे दैनिक वेतनभोगियों को इस संकल्प की कंडिका 5 में निहित प्रक्रियानुसार कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

(2) समूह 'ग' के पदों पर दैनिक वेतनभोगियों को नियमित नियुक्ति का अवसर देने के लिए निम्नांकित आधार एवं प्रक्रिया होगी :—

> (i) ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की नियमित नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विशेष सीमित परीक्षा में सफल होने पर ही की जायेगी;

> (ii) जिस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया जायेगा उसके लिए निर्धारित अर्हता रहना आवश्यक होगा;

(iii) परीक्षा में सफल होने एवं रिक्ति उपलब्ध रहने पर ही नियुक्ति की जा सकेगी।

(3) समूह 'घ' के पदों पर दैनिक वेतनभोगियों की समायोजन द्वारा नियुक्ति के लिए निम्नांकित आधार एवं प्रक्रिया होगी :--

- (i) किसी विभाग/संलग्न कार्यालय/अन्य क्षेत्रीय कार्यालय की नियमित रिक्तियों के विरुद्ध ही उस विभाग/संलग्न कार्यालय/अन्य क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यरत एवं छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगियों का समायोजन होगा और समायोजन तुरत के प्रभाव से होगा। किसी विभाग/संलग्न कार्यालय/अन्य क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यरत एवं छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगियों को किसी अन्य विभाग/संलग्न कार्यालय/अन्य क्षेत्रीय कार्यालय की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जायगा। किसी विभाग के कार्यरत/छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी का उसी विभाग के रिक्ति के विरुद्ध, किसी संलग्न कार्यालय के कार्यरत एवं छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी का उसी विभाग के रिक्ति के विरुद्ध, किसी संलग्न कार्यालय के कार्यरत एवं छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी का उसी विभाग के रिक्ति के विरुद्ध और किसी क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यरत एवं छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी का उसी संलग्न कार्यालय की रिक्ति के विरुद्ध और किसी क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यरत एवं छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी का उसी संलग्न कार्यालय के कार्यरत पव छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी का उसी संलग्न कार्यालय की रिक्ति के विरुद्ध और किसी क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यरत एवं छँटनीग्रस्त दैनिक वेतनभोगी का उसी संलग्न कार्यालयों के विरुद्ध समायोजन होगा। दैनिक वेतनभोगी के रूप में कम-से-कम 5 वर्षों तक लगातार (प्रत्येक वर्ष कम-से-कम 240 दिनों तक) कार्यरत रहने के आधार पर योग्यता निर्धारित की जायेगी और इस प्रकार योग्य पाये गये दैनिक वेतनभोगियों की वरीयता का निर्धारण उम्र के आधार पर किया जायेगा। ऐसी वरीयता सूची कार्यालयवार होगी।
- (ii) उपरोक्त उप-कंडिका (i) में उल्लेखित रिक्तियों के लिए दैनिक वेतनभोगियों को समायोजित करने का एक अवसर देने के लिए विचारार्थ सचिवालय स्तर पर प्रत्येक विभाग में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जायेगी :--
 - (क) विभागीय सचिव अध्यक्ष (ख) सभी विभागाध्यक्ष सदस्य
 - (ग) स्थापना समिति में पूर्व से अनु0जाति / जनजाति के मनोनीत प्रतिनिधि सदस्य

(घ) संबंधित विभाग के स्थापना प्रभारी पदाधिकारी सदस्य

उक्त समिति विभाग तथा विभाग के अधीन संलग्न कार्यालय / कार्यालय से वांछित सूचना प्राप्त कर तथा निर्धारित सभी शर्तों के अनुपालन की जाँच कर रिक्त एवं अनुमान्य पदों पर समायोजन द्वारा नियुक्ति हेतु कार्यालयवार पैनल तैयार करेगी तथा नियुक्ति हेतु तदनुसार अनुशंसा भेजेगी।

(iii) इसी प्रकार प्रमंडल स्तर तथा जिला स्तर एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों की रिक्तियों के लिए निम्नवत समिति का गठन किया जायेगा :--

(क) जिला पदाधिकारी	अघ्यक्ष
(ख) जिला कल्याण पदाधिकारी	सदस्य
(ग) जिला नियोजन पदाधिकारी	सदस्य
(घ) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत जिला स्तरीय विभिन्न कार्य	सदस्य
विभागों के 3 वरीय पदाधिकारी और जिला स्तरीय विकास कार्यों	

से संबंधित विभागों के 2 पदाधिकारी।

प्रमंडलीय कार्यालय जिस जिला मुख्यालय में अवस्थित होगा उसी जिला की समिति द्वारा उस प्रमंडलीय कार्यालय के लिए रिक्तियों पर विचार कर अनुशंसा की जायेगी। उक्त समिति क्षेत्रीय कार्यालयों आदि से वांछित सूचना प्राप्त कर तथा निर्धारित सभी शत्तों के अनुपालन की जाँच कर रिक्त एवं अनुमान्य पदों पर समायोजन द्वारा नियुक्ति हेतु कार्यालयवार पैनल तैयार करेगी तथा नियुक्ति हेतु तदनुसार अनुशंसा भेजेगी।

- (iv) इस संकल्प के प्रावधानों से आच्छादित दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की समूह ''घ'' के पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यता वही होगी जो 11 दिसम्बर 1990 (कट—आफ—डेट) को निर्धारित थी। इस संबंध में पत्रांक 3577, दिनांक 25 अप्रील 1997 के अन्तर्गत लागू अर्हताएँ इस हद तक संशोधित समझी जायेंगी।
- (v) जिन अभ्यर्थियों का नियुक्ति हेतु चयन हो जाता है, तथा वे जन्मतिथि के प्रमाण स्वरूप मैट्रिक प्रमाण पत्र से भिन्न प्रमाण पत्र देते हैं तो उनकी उम्र का निर्धारण मेडिकल बोर्ड से कराया जायेगा और तदनुसार उनकी सेवा पुस्त में जन्मतिथि की प्रविष्टि की जायेगी।

(4) उपर्युक्त कंडिका (1), (2) एवं (3) में निहित आधार, प्रक्रिया एवं शत्तों के अध्यधीन, दैनिक वेतनभोगियों को, नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया के समय सरकारी सेवा में आने के लिए मात्र एक अवसर (One time opportunity) दिया जायेगा। उक्त एक अवसर के बाद प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाले या समायोजित नहीं हो सकने वाले दैनिक वेतनभोगियों को नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होने के एक माह के अन्दर कार्यमुक्त समझा जायेगा। तत्पश्चात भुगतान नहीं होना सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी कार्यालय प्रधान / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(5) दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य करने की अवधि को किसी प्रयोजन हेतु राज्य सरकार के अधीन सेवा नहीं माना जायेगा।

(6) समूह 'घ' के मामले में रिक्तियों की गणना वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं. 3110, दिनांक 10 अप्रील 1986 के आलोक में कर ली जाएगी। समूह 'ग' में नियुक्ति तथा समूह 'घ' में समायोजन के पूर्व संबंधित कार्यालयों द्वारा उनके प्रशासी विभाग के माध्यम से रिक्तियों की संपुष्टि वित्त विभाग से करा ली जाएगी और दिनांक 31 दिसम्बर 2005 तक की उपलब्ध रिक्तियों एवं उनके भरे जाने की आवश्यकता के संबंध में संबंधित कार्यालय प्रधान / विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

3. इस संकल्प के प्रावधानों से आच्छादित दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की नियुक्ति हेतु यदि उम्र नियुक्ति के लिए चयनित होने के समय निर्धारित उम्र सीमा से अधिक हो तो उन्हें उम्र क्षांति का लाभ देकर नियुक्त किया जा सकेगा।

4. दिनांक 11 दिसम्बर 1990 के बाद कार्य पर रखे गये सभी प्रकार के दैनिक वेतनभोगियों को इस संकल्प के निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हटा दिया जायेगा। ऐसा नहीं करने पर तथा तत्संबंधी भुगतान किये जाने पर उसकी वसूली संबंधित कार्यालय प्रधान के वेतन से की जाएगी। साथ ही दैनिक वेतनभोगियों को मजदूरी भुगतान के संबंध में जो विपत्र कोषागार को भेजा जायेगा उसमें निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि दिनांक 11 दिसम्बर 1990 के बाद कार्य पर रखे गये दैनिक वेतनभोगियों की मजदूरी भुगतान की राशि प्रस्तुत विपत्र में सम्मिलित नहीं है।

5. यदि किसी विभाग/कार्यालय में रिक्ति नहीं हो तो ऐसे विभाग/कार्यालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को, विशेष परिस्थिति में उनके द्वारा लम्बी अवधि तक दैनिक मजदूरी पर कार्यरत रहे जाने के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर विचार करते हुए उनके द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मी के रूप में पूर्ण किये गए वर्ष (जिस वर्ष में कम-से-कम 240 दिनों तक कार्य किया गया हो) के अनुसार प्रति वर्ष के लिए 15 दिनों का नियमानुसार लागू पारिश्रमिक देकर हटा दिया जायेगा। परन्तु ऐसा पारिश्रमिक 20 वर्षों से अनधिक अवधि मात्र के लिए देय होगा।

6. जिन दैनिक वेतनभोगियों को असंतोषजनक सेवा के कारण कार्य मुक्त कर दिया गया हो अथवा जो स्वेच्छा से हट गये हों, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित स्कीम सिर्फ सरकार के विभागों / कार्यालयों के लिए लागू होगी।

8. इस प्रक्रिया के तहत नियुक्ति/समायोजन का एक अवसर देने हेतु नियुक्ति/समायोजन हेतु एक्वीटेंस रौल के आधार पर योग्य पाये गये दैनिक वेतनभोगियों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उसके विरुद्ध आपत्ति आमंत्रित की जाएगी।

9. उक्त कंडिकाओं में निहित प्रक्रियाओं के एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत संपन्न कराने हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अलग से समय सीमा का निर्धारण किया जाएगा।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय ' और इसकी प्रतियाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी नियोजनालयों/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

> बिहार–राज्यपाल के आदेश से, जी० एस० कंग, मुख्य सचिव, बिहार।

[16]

पत्र संख्या—3/एम०—26/05 का०—1133 बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

<u>सभी विभाग</u> <u>सभी विभागाध्यक्ष</u> <u>सभी प्रमंडलीय आयुक्त</u> सभी जिला पदाधिकारी

पटना—15, दिनांक 14 जुलाई, 2005

विषयः-- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से निर्गत संकल्प सं० 489 दिनांक 10.05.05 के क्रम में प्राप्त अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि इस विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं० 489 दिनांक 10.05.05 के क्रम में कतिपय विभागों/कार्यालयों के कथित दैनिक वेतनभोगी कर्मियों से समायोजन/नियमितिकरण हेतु लगातार अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। कतिपय विभागों द्वारा इस प्रसंग में पृच्छा भी की जा रही है।

2. उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त संकल्प द्वारा सरकारी विभागों / कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगियों के सन्दर्भ में कट—ऑफ—डेट का पुनर्निर्धारण करते हुए समायोजन / नियमितिकरण हेतु स्कीम के पुनः सूत्रीकरण के लिए सचिवों की समिति गठित की गयी है। सचिवों की समिति द्वारा स्कीम के सूत्रीकरण पर विचार चल रहा है। उपर्युक्त के आलोक में सम्प्रति दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के समायोजन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 5940 दिनांक 18.06.93 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के समायोजन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 5940 दिनांक 18.06.93 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही दैनिक वेतन भोगियों को दिनांक 11.12.90 के कट—ऑफ—डेट के आधार पर नियमित निर्युक्ति में अधिमानता दिये जाने की कार्रवाई की जा सकती है। समूह 'ग' में नियुक्ति हेतु ऐसी अधिमानता बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर और समूह ''घ' में ऐसी अधिमानता संकल्प सं० 5940 दिनांक 18.06.93 में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर दी जा सकती है। अतः कृपया तदनुसार कार्रवाई की जाय। इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को संबंधित विभागों को मूल रूप से अलग से भेजा जा रहा है।

3. कतिपय ऐसे व्यक्तियों द्वारा भी अभ्यावेदन दिया गया है जिन्हें 01.08.85 के कट—ऑफ—डेट के आधार पर हटा दिया गया था। चूँकि ऐसे मामलों पर भी समिति को स्कीम बनाते समय विचार करना है अतः ऐसे मामलों में तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की जाय।

> विश्वासभाजन, राजेन्द्र प्रसाद सरकार के अवर सचिव।

> > ł



[17]

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 वैशाख 1927 (श०)

(सं० पटना 208)

पटना, मंगलवार 17 मई 2005

सं० सं०—3 / सी०—15 / 2004—489

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विमाग

संकल्प

10 मई 2005

विषय— राज्य सरकार के विभागों∕कार्यालयों में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की नियुक्ति संबंधी कट—ऑफ—डेट (01.08.1985) को बढ़ाकर 11.12.1990 करने और उनके समायोजन∕नियमितीकरण में हो रही कठिनाई को दूर करने के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 5940, दिनांक 18 जून 1993 के तहत यह निर्णय लिया गया था कि दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर 01.08.1985 के बाद की गयी अनियमित नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाय और कट--ऑफ--डेट 01.08.1985 होगा अर्थात वैसे दैनिक वेतनमोगी कर्मचारी जो 01.08.1985 से पूर्व कम-से-कम 240 दिनों से कार्यरत हैं, उन्हें अन्य परिस्थितियाँ समान रहने पर नियुक्ति में अधिमानता देने पर विचार किया जाय।

2. राज्य सरकार एवं विभिन्न कर्मचारी संघों के साथ दिनांक 02.01.2005 को हुई सहमति के आलोक में निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्रवाई सरकार के विचाराधीन था :--

- (i) उक्त संकल्प के तहत 01.08.1985 के बाद दैनिक मजूदरी पर नियुक्त कर्मियों की सेवा समाप्त कर देने का निर्णय लिया गया था, अतः उक्त कट—आफ—डेट को 01.08.1985 से बढ़ाकर 11.12.1990 किया जाना।
- (ii) संकल्प में दिनांक 01.08.1985 के पूर्व 240 दिनों की सेवा पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को अन्य परिस्थितियाँ समान रहने पर नियुक्ति में अधिमानता देने का प्रावधान किया गया है, अतः उक्त प्रावधानों के तहत उनके समायोजन में आ रही कठिनाई पर विचार करने हेतु सचिवों की एक समिति बनाना।
- (iii) उक्त संकल्प के आलोक में दिनांक 11.12.1990 तक नियुक्त ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मी जिन्हें अगस्त, 1993

के बाद हटा दिया गया था, के मामले पर उक्त समिति द्वारा विचार किया जाना।

- 3. उपर्युक्त बिन्दुओं पर सम्यकरूपेण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :--
 - (i) राज्य सरकार के विभागों / कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मी के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 5940, दिनांक 18.06.93 में निहित कट—आफ—डेट 01.08.1985 से बढ़ा कर 11.12.1990 किया जाय।
 - (ii) राज्य सरकार के विभागों / कार्यालयों में कार्यरत ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के सरकारी सेवा में समायोजन में हो रही कठिनाई को दूर करने हेतु योजना बनाने के लिये निम्न प्रकार से सचिवों की एक समिति गठित की जाती है :--
 - (क) वित्त आयुक्त, बिहार, पटना
 - (ख) आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
 - (ग) आयुक्त एवं सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना
 - (घ) सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना
 - (ड.) सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना

उपरोक्त समिति की अध्यक्षता समिति के सदस्यों में से वरीयतम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग समिति के संयोजक रहेंगे।

- (iii) समिति उपर्युक्त योजना के अतिरिक्त दिनांक 11.12.1990 तक नियुक्त ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मी जिन्हें कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प के आलोक में अगस्त, 1993 के बाद हटा दिया गया है, के मामले पर भी विचार करेगी।
- (iv) समिति अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर देगी।
- संकल्प सं० 5940, दिनांक 18 जून, 1993 तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।
- आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से, रविकान्त, सरकार के सचिव। पत्र संख्या--3/एम-36/2004-का०-6642 बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

[18]

प्रेषक,

श्री के०ए०एच० सुब्रह्मणियन, मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

<u>सभी विभाग</u> <u>सभी विभागाध्यक्ष</u> अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो <u>सभी प्रमंडलायुक्त</u> सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 9 अगस्त, 2004

विषय :- दिनांक 1-8-85 के बाद नियुक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के संबंध में। महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 5940 दिनांक 18.06.93 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त संकल्प के आलोक में दिनांक 01.08.85 के बाद नियुक्त किये गये दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति रद्द कर देनी थी। परन्तु आये दिन माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष नियमितीकरण संबंधी दायर हो रहे मुदकमों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि उक्त संकल्प का अनुपालन नहीं किया गया है, और 01.08.85 के बाद नियुक्त दैनिक वेतनभोगियों से अब भी अनियमित रूप से कार्य लिया जा रहा है। विभागों/कार्यालयों की इस निष्क्रियता एवं सरकारी संकल्प के उल्लंघन को सरकार ने गंभीरता से लिया है और यह आदेश देने की कृपा की है कि 01.08.85 के बाद की गयी ऐसी नियुक्तियों और उक्त संकल्प के संसूचन के बावजूद ऐसे नियुक्त कर्मी को कार्यरत बनाये रखने के दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाय।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त संकल्प सं० 5940 दिनांक 18.06.93 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय और 01.08.85 के बाद की गयी ऐसी नियुक्तियों और उन्हें कार्यरत बनाये रखकर भुगतान किये जाने के दोषी पदाधिकारियों ⁄ कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करते हुए एक माह के अन्दर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचना देने की कृपा की जाय।

> विश्वासभाजन, के॰ए॰एच॰ सुब्रह्मणियन, मुख्य सचिव।

[19]

पत्र संख्या-3/एम 1-37/2001-का० 4658 बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बैद्यनाथ प्रसाद, सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी । पटना—15, दिनांक 18 अगस्त, 2001

विषयः– दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मियों का नियमितीकरण–एल॰पी॰सं॰ 1514 / 2000 में दिनांक 12.04.2001 को पारित आदेश का संसूचन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एल०पी०ए०सं० 1514 / 2000 (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम विजय कुमार झा एवं अन्य) में दिनांक 12.04.2001 को पारित आदेश की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु संलग्न कर भेजी जाती है।

अनु०ः—यथावत।

विश्वासभाजन बैद्यनाथ प्रसाद सरकार के उप सचिव।

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

LPA NO. 1514 of 2000

The State of Bihar and others.....Appellants

Vrs.

Vijay Kumar Jha and others......Respondents

For the appellants: Mr. Jawahar Dhari Singh, GP I

Mr. Shambhu Nath No. I, J.C. to G.P. I.

For the Respondents : Mr. Chandra Shekhar, Sr. Advocate

10. 12.4.2001. This appeal under Clause-10 of the Letters Patent of the Patna High Court has been preferred against the order dated-28.6.2000, passed by a learned Single Judge of this Court in C. W.J.C. No. 4563 of 1998 (Vijay Kumar Jha Vs. State of Bihar) whereby the appellant (the State of Bihar) has been directed to consider the claim of the three petitioners for regularisation against sanctioned posts.

2. The three petitioners claim to be working on daily wages as class IV employees in the Revenue and Land Reforms Department, Govt of Bihar since 1983 and pray that the State Govt. may be directed to regularise their services against sanctioned Class IV posts. They had earlier moved this court for the same relief by preferring CWJC. No. 10791 of 1994 (Vijay Kumar Jha Vs. State of Bihar) and the analogous writ petitions. The case of the petitioners was that a panel was prepared for appointment against Class IV posts after advertisement and following the selection process. The stand of the State Government was that there was no advertisement for appointment of peons and the panel was prepared on the basis of the names forwarded by the Employment Exchange, Patna, which was named as Ummidwar Peons, so that persons may be engaged when need arose on daily wage basis and the names of the petitioners were included threrein. C.W.J.C. No. 10791 of 1994 was disposed of by a learned Single Judge of this court by his order dated 1.11.95 (Annexure-10 to the writ petition), whereby the respondents were directed to take a final decision within three months from the date of receipt of a copy of this order. Following is the operative part of the order :-

".....The petitioners are not in a position to produce before this court a copy of advertisement which according to them was issued for the appointment of regular peons. In the absence of relevant materials, it would not be safe for me to record any finding on the question. However, since the matter is under consideration of the Government and the government has before it all necessary materials, I direct the respondents to take a final decision in the matter within a period of three months from the date on which a copy of this order is produced before respondent. These writ petitions are disposed of accordingly."

3. The State government took the decision on 21-2-1997 (Annexure-12 to the writ petition), whereby, it has been decided that the petitioners shall be considered against vacancies in regularly sanctioned posts as

and when they occur, keeping in view the provision laid down in the Government Circular no. 5940 dated 18.6.93 and also keeping in view the policy of reservation laid down by the Government. According to the petitioner, the services of the petitioners have not been regularised inspite of the said decision of the State Government. Hence the present C.W.J.C. No. 4563 of 1998. As stated above the same has been allowed by a learned Single Judge of this court by his order dated 28.06.2000, whereby the concerned respondents have been directed to consider the claim of the petitioners for regularisation against vacancies in sanctioned posts notwithstanding the circular dated 10.4.86 (Annexure A to the counter affidavit of the State of Bihar in the writ petition), within a period of three months. The State Government has appealed.

- 4. While pressing this appeal, learned counsel for the appellants submits that the Government circular dated 10.4.1986 (Annexure A to the counter affidavit) creates a bar to the regularisation of peons. There is paucity of sanctioned vacancies. Further, the State Government has taken the decision on 12.8.99 that out of 93 regular posts of peons only 51 shall for the time being be filled up. He also submitted that after bifurcation of the State with effect from 15.11.2000, the requirement of the State shall have to be reviewed. In view of the financial constraints of the State Government which are almost acute, the Government is very circumspect in regularising the services of its daily wage employees and is equally circumspect in filling up the sanctioned posts. Therefore, the State Government has not framed any scheme envisaged by the Supreme Court in its Judgment reported in AIR 1992 SC 130 = (1992) 4 SCC 118 (State of Haryana Vs. Piara Singh).
- 5. The three writ petitioners who are the respondents herein have submitted in opposition that the Government is in a dominant position and, therefore, can take any decision that it likes, but the Government should not permit the writ petitioners to be treated in the manner as is being done by the State Government. They are working on daily wages since 1983 in the hope that their services shall be regularised. It was further submitted that the circular of 1986 (Annexure-A to the counter affidavit in the writ petition) is being applied by the State Government for the first time since the same was issued. It was then submitted that the question of financial constraints does not arise in the present case, because the present writ petition relates to three persons only. He has also relied on the judgment of the Supreme Court reported in AIR 2000 (1) 706 (Gujrat Agricultural University Vs Rathore Labhu Bechar).
- 6. Having considered the rival submissions, we with respect disagree with the order of the learned Single Judge. In view of the facts and circumstances attended on this writ petition and for the reasons indicated hereinbelow, it is not possible for this Court to issue a manadamus to the State Government to regularise the services of the three writ petitioners. The Supreme Court in its Judgment reported in the State of Haryana Vs Piara Singh (Supra), has observed, that where Government orders for regularisation from time to time are issued on conditions which are not unreasonable, arbitrary or discretionary, Court should be cautious in issuing directions to the Government substituting its own conditions. Creation and abolition of posts and the discretion to fillup a regular post is the prerogative of the Government. The court must while giving direction for regularisation act with due care and caution. It must first ascertain the relevant facts, and must be cognigant of the several situations and eventuality that may arose on account of such

directions. A practical and pragmatic view has to be taken, in as much as every such direction not only twells upon the public exchequer, but also has the effect of increasing the cadre strength of a particular service, class or category. The normal rule is regular recruitment through the prescribed agency, but exigency of administration may some time call for an ad hoc or temporary appointment to be made. In such a situation, effort should always be to replace such ad hoc or temporary employee by a regularly selected employee as early as possible. Such a temporary employee may also compete along with others for such regular selection/appointment. If he gets selected, well and good, but if he does not, he must give way to the regularly selected candidates. The appointment of the regularly selected candidate cannot be withheld or kept in abeyance for the sake of such an ad hoc/temporary employee. Persons continuing in service over a number of years have a right to claim regularisation and the authorities are under obligation to consider their case for regularisation in a fair manner, provided he is eligible and qualified according to the rules, and service record is satisfactory and his appointment does not run counter to the reservation policy of the State. The proper course would be that the authorities prepare a scheme, if one is not already in vogue, for regularisation of such employees consistent with its reservation policy. Furthermore the Supreme Court as well as this Court has on number of occasions held that in case such a scheme is prepared, then the daily wage or ad hoc employees shall compete with the outsiders and age bar shall not come in the way of the former. It has further been held by the Supreme Court as well as this court that employment opportunity in this country is a national wealth, and every citizen should have unrestricted access to the same. Any appointment without advertisement and wide publicity and inconsistent with the rules is violative of the constitutional mandate.

It is in the aforesaid background that we read the aforesaid circular dated 10.04.86 (Annexure-A) from 7. which it appears that the State Government had made an effort to reduce the man power employed by the State Government. The provision for attaching peons with the functionaries of the State Government was reviewed which has led to reduction in the number of such peons needed by the State Government. It was, therefore, decided that there shall be no fresh appointment of peons in near future. It is obvious from a plain reading of this order that the number of permanent posts/sanctioned posts of peons have drastically reduced, services of permanent employees who have become surplus shall not be dispensed with, and shall be adjusted against future vacancies caused by retirement and other facts. It is thus inherent in the situation that there is no questions of regularisation of daily wage class IV employees at present. On the contrary, perhaps a case has been made out for dispensing with their services. The aforesaid order dated 10.04.86 extends protection, and preserves the services, only of the permanent employees. Learned Government Counsel has also produced before us the original file maintained by the State Government in this behalf. He has particularly invited our attention to the decision taken at the meeting held on 12.08.99 under the chairmanship of the Chief Secretary of the Government in the presence of the Commissioner-cum-Secretary, Revenue, Finance Commissioner, Personnel Secretary and the Law Secretary to the effect that there are 93 sanctioned posts of peons in the Department of Revenue and Land Reforms, which has been reduced to 51 posts, yet there are 11 surplus persons. Furthermore, it is common knowledge that the Bihar Government is over-weight, and their is need for

drastic reduction of its work force. We also take judicial notice of the fact that the State Government is passing through a critical financial phase which has accentuated after the bifurcation of the State. The State Government is not able to pay salary to its existing employees and is taking loans/over-drafts to meet this obligation. The Supreme Court in its Judgment in case of Gujarat Agricultural University Vs R. L. Bechar (Supra) (Para - 22), has clearly stated that financial constraints are to be kept in mind when any scheme is prepared for regularisation at a particular time. In such circumstances this court finds it nearly impossible to issue a mandamus to the State Government to regularise the services of the three writ petitioners. Circumstances permitting, the State Government may formulate a scheme as and when it deems fit for regularisation of the services of its employees of the category of the writ petitioners, in which case the three writ petitioners shall be entitled to compete along with the persons from the open market in response to the advertisement and age bar shall not come in their way.

8. In the result, this appeal is allowed in the aforesaid manner. Order of the learned Single Judge dated 28.06.2000, passed in C.W.J.C. No. 4563 of 1998, is hereby set aside.

Sd/-Nagendra Rai Sd/-

S. K. Katriar